अनुसूची 21— फार्म सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19.... आवेदन सं० 19.....

मुझे श्री अनिल कुमार सिंह एवं अन्य

ने मेरी यथा आवेदित दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित सेवाओं और अवभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाली संभावनाओं और अवभारों के बारे में वही थे और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में हैं। 19.... से 19.... तक 3 months to two date

एक जांचों की गयी और ऐसी जांचों के बाद इसमें संभावनाओं और अवभारों को पता चला है कि :

अवभार के मुक्त

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्धारण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निर्धारक	दावेदार	जिल्द	अंक	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मौजा - पलामू
पाना 90 - 22
खाता - 04
प्लॉट - 137
एकाधी - 36.92 डि०

1. तलासी के अनुसार विवरण दर्ज करें : (हिन्दी)

2. प्रमाण-पत्र की दिशा व्याख्या की कर और भूमितल की अवधि दर्ज करें। कार्यों को उनके क्रमों में उल्लेख हो।

3. पट्टों की संख्या में पट्टों की अवधि और लंबित मामला दर्ज करें :

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त को छोड़कर संपत्ति की अवभारों को छोड़ इस संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का ज्ञान नहीं पाया है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): निरंजन कुमार सिंह

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 07/09/18

भूहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जैक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के संशोधन की दृष्टि से (बाहरी) और अनुक्रमणिकाएँ (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों से प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। निर्दिष्ट फीस जमा करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(अ) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ब) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और यदि उसके बाद कुछ गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा यदि वर्णित ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक.....

क्रम संख्या 3834 दिनांक 7/9/18

आवेदक श्री विनोद कुमार सिंह

का प्रस्तुत प्रमाण पत्र हाल

Vijaya Bank Boring Road

को स्टाक पत्र संख्या..... दिनांक..... के प्रदेश में आरम्भित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

SRC-469-99-2.00.000

For ALTAIR BUILDCON